


- आदेश :-

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती वस्तुतः लिमिकीय क्यूटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती संपूर्ण अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-


पूर्व इन्द्राज				स्वीकृत किया गया इन्द्राज			
1	2	3	4	5	6	7	8
प्रति का नाम	संख्या	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
आसल रुद्र	30	द्विगना राम पुत्र	199	1.0200	द्विगना राम पुत्र	199	1.0200
		शंभा राम सिखा - 1/5 जाति-मेकरी	199/389	0.0800	शुभाशम	199/389	0.0800

  
 शिखर प्रसाद  
 (अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना)  
 PGKSA-2021  
 दिनांक :-

क्रमांक :- 513/26-X-21

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

- उप तहसीलदार, मौलासर

  
 शिखर प्रसाद  
 (अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना)  
 PGKSA-2021  
 दिनांक :-

क्रमांक :-

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

- पटवार हल्का..... को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णयानुसार पालना सुनिश्चित करें।

उप तहसीलदार, मौलासर